

**Challan Form**

ख०नि०-६  
F.R.-6  
(खजाना नियम 92 देखिए)  
(See Rule 92)  
(मुख्य पृष्ठ)  
(Obverse)

चालान न०  
Challan No.

कृपया बतायें	सिविल/Civil
Please indicate whether	रक्षा/Defence
	रेलवे/Railway
	डाकतार/Post & Telegraphs

खजाना/उप-खजाना \_\_\_\_\_ में संदत्त नकद का चालान  
भारत के स्टेट/रिजर्व बैंक

Challan of cash paid into Treasury/Sub-Treasury at CENTRAL SECRETARIAT, NORTH BLOCK  
State/Reserve Bank of India

प्रेषक द्वारा भरा जाए  
To be filled in by the remitter

विभागीय आफिसर या खजाने द्वारा भरा जाए  
To be filled in by the Departmental Officer or the Treasury

किसके द्वारा निविदत्त किया गया By when tendered	उस व्यक्ति का नाम (या पदाभिधान) और पता जिसकी ओर से धन संदत्त किया गया Name (or designation and address of the person on whose behalf money is paid	प्रेषण की ओर/या पदाधिकारी की (यदि कोई हो) पूर्ण विशिष्टियाँ Full particulars of the remittance and/or authority (if any)	रकम Amount	लेखा शीर्षक Head of Account	लेखा आफिसर जिसके द्वारा समायोजन हो सकता है Account Officer by whom adjustable	बैंक का आदेश Order to the Bank
नाम Name			रु० Rs.	पे० P.	0070-AOS-COS-OR	तारीख सही है। प्राप्त करो और रसीद अनुदत्त करो (धन संदत्त करने का आदेश देने वाले आफिसर का नाम और पूरा पदाभिधान) Date Correct: Receive and grant receipt. (Signature and full Designation of the Officer ordering the money to be paid in).
हस्ताक्षर Signature		जोड़ * Total*			PAO (MHA)	

\* रुपये (शब्दों में)  
\*(in words) Rupees

विभागीय आफिसर या खजाना आफिसर की मार्फत केवल बैंक को किए जाने वाले प्रेषणों की दशा में प्रयुक्त किया जाए  
To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer

प्राप्त संदत्त (शब्दों में) रुपये  
Received payment (in words) Rupees

कोषपाल  
Treasurer

लेखापाल  
Accountant

तारीख  
Date

खजाना आफिसर  
अधिकर्ता या प्रबंधक  
Treasury Officer  
Agent or Manager  
(फ०पू०उ०/P.T.O)